राज्य स्तरीय नोडल एजेंसी (SLNA)
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
विकास भवन, सिविल लाईन रायपुर, छ.ग.

क्रमांक/721/SLNA /2012 रायपुर, दिनांक 14 /08/2012

प्रति,

मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
जिला पंचायत–सर्व
छत्तीसगढ़

विषयः– प्रादर्श जलग्रहण क्षेत्र प्रबंधन परियोजना (मॉडल वाटर शेड) के चयन बाबत्।

----00----

विदित हो कि, राज्य शासन की मंशानुसार प्रत्येक जिले में IWMP के अन्तर्गत वर्ष 2009–10, 2010–11 एवं 2011–12 के संचालित परियोजनाओं में से एक परियोजना को जिले का प्रादर्श जलग्रहण परियोजना (मॉडल वाटर शेड परियोजना) के रूप में विकसित किया जाना है। तद्संबंध में परियोजना के चयन हेतु मार्गदर्शिका की प्रति संलग्न है।

कृपया मार्गदर्शिका में उल्लेखित **क्षेत्र–चयन हेतु निर्धारित अर्हता** के अनुरूप जिले में एक "प्रादर्श जलग्रहण परियोजना" का चयन कर, तदाशय की जानकारी **दिनांक 24 अगस्त, 2012 तक,** इस कार्यालय को अनिवार्यतः सूचित करने का कष्ट करेंगे।

संलग्नः उपरोक्तानुसार।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
SLNA

पृ.क्रमांक/722/SLNA /2012 रायपुर, दिनांक 14/08/2012

प्रतिलिपिः–

1. अपर मुख्य सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, डी.के.एस. भवन,मंत्रालय, रायपुर।
2. कलेक्टर सह–अध्यक्ष, WCDC, समस्त जिला छत्तीसगढ़ को सूचनार्थ।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
SLNA

प्रादर्श जलग्रहण क्षेत्र प्रबंधन परियोजना

(Model Watershed Management Project)

मार्गदर्शिका

राज्य स्तरीय नोडल एजेंसी (SLNA)

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

विकास भवन, सिविल लाईन रायपुर, छ.ग.

14/08/12 05:25PM HP LASERJET FAX p.06

प्रादर्श जलग्रहण क्षेत्रप्रबंधन परियोजना (माडल वाटर शेड)

पृष्ठभूमि

जलग्रहण क्षेत्र प्रबंधन कार्यकम अन्तर्गत, प्रदेश में पिछले अनेक वर्षो से परियोजनाएं कियान्वित हो रही है। गत वर्षो में IWDP एवं DPAP के अन्तर्गत हुए परियोजना कियान्वयन से एकीकृत परिणामों वाले जलग्रहण क्षेत्र स्थापित किए जाने के प्रयास होते रहे है। वर्तमान में एकीकृत जलग्रहण क्षेत्र प्रबंधन कार्यकम (IWMP) की नई मार्गदर्शिका के अनुरूप परियोजनाओं के कियान्वयन हो रहे है। परियोजनाओं के सशक्त कार्ययोजना एवं आवश्यक संख्या में दक्ष अमले के सहयोग से कियान्वयन सुनिश्चित कर एकीकृत परिणामों की प्राप्ति के प्रयास हो रहे है।

जिलों में स्वीकृत परियोजनाओं में से एक परियोजना को ''प्रादर्श जलग्रहण परियोजना'' (Model Watershed Project) के रूप में विकसित किया जाना प्रस्तावित है। प्रादर्श परियोजना में परियोजना अधिकारी एवं WDT के अलावा विषय विशेषज्ञों का सहयोग लिया जायेगा। चयनित परियोजना को प्रदर्शन क्षेत्र के रूप में विकसित किया जायेगा। परियोजना में प्राप्त परिणामों को अनुसंधान कार्यो में लिया जा सकेगा। परिणामों की विश्वसनीयता के लिए उनकी प्रामाणिकता सबूतों से सिद्ध किया जायेगा।

जलग्रहण क्षेत्र प्रबंधन कार्यकम के अन्तर्गत परियोजनाओं का कियान्वयन तकनीकी आधारित होने के कारण जटिल होता है। परियोजना कियान्वयन की जटिलता को देखते हुए संलग्न अमले का क्षमता विकास जरूरी है। क्षमता विकास का कार्य केवल व्याख्यान या प्रस्तुतीकरण से ही पूरा नही होता, इस हेतु आदर्श प्रदर्शन क्षेत्रों का विकास कर ऐसे क्षेत्रों का भ्रमण, एक आवश्यक ''टूल'' है। जिले में आयोजित होने वाले प्रशिक्षण कार्यकमों के प्रतिभागियों को ऐसे प्रदर्शन क्षेत्रों में संलग्न कर प्रशिक्षण दिया जा सकेगा।

आई.डब्ल्यू.एम.पी. के समान मार्गदर्शी सिद्धांत 2008 के खंड 11–4/92 (क–छ) परियोजनाओं से को आपेक्षित परिणाम सुझाये गये है। वर्तमान में जिले स्तर में परियोजनाओं से प्राप्त परिणामों को नापने की सुविधा नही है। सभी परियोजनाओं में परियोजनाओं से प्राप्त परिणामों को मापने की व्यवस्था भी नहीं की जा सकती है। अतः प्रस्तावित प्रादर्श जलग्रहण

14/08/12 05:25PM HP LASERJET FAX p.05

परियोजना में आवश्यक उपाय करते हुए, आदर्श मापदण्डों के आधार पर प्राप्त परिणामों को एकजाई किया जा सकेगा।

उद्देश्यः–

प्रादर्श जलग्रहण परियोजना चयन से निम्न उद्देश्यों की प्राप्ति होगी :–

- जिले में एकीकृत जलग्रहण क्षेत्र प्रबंधन कार्यक्रम से आपेक्षित परिणामों को प्रादर्श परियोजना में प्रदर्शित किया जा सकेगा।
- प्रत्येक जिले में एकीकृत जलग्रहण क्षेत्र प्रबंधन कार्यक्रम की विभिन्न गतिविधियों के लिए प्रदर्शन क्षेत्र विकसित किया जा सकेगा।
- प्रादर्श परियोजना प्रक्षेत्रों में प्राप्त परिणामों को वैज्ञानिक /तकनीकी रूप से सिद्ध किया जा सकेगा।
- विषयान्तर्गत होने वाले शोध कार्यो के लिए विश्वसनीय आंकड़े उपलब्ध कराये जा सकेंगे।
- प्रशिक्षण कार्यक्रम के प्रतिभागियों को प्राप्त परिणामों से दृष्टिगत कराया जा सकेगा।

क्षेत्र चयनः–

चयनित प्रादर्श परियोजना क्षेत्र मूलतः परियोजना चयन की प्रस्तावित प्रकिया से स्वीकृति प्राप्त वर्ष 2009–10, 2010–11, या वर्ष 2011–12 में से कोई एक मिली वाटरशेड परियोजना होगी। प्रादर्श जलग्रहण क्षेत्र प्रबंधन परियोजना के निर्धारण के लिए निम्न अर्हताएं आवश्यक होगीः–

- चयनित परियोजना, स्पष्ट रूप से वाटरशेड की अवधारणा ''रिज टू वेली'' का प्रदर्शन करने वाली परियोजना होनी चाहिए।
- IWMP परियोजना चयन हेतु पी.पी.आर. में निर्धारित मापदण्डों के अनुरूप क्षेत्र हो।
- चयनित क्षेत्र आवागमन एवं प्रदर्शन हेतु पहुंच वाला क्षेत्र हो।
- चयनित क्षेत्र में परियोजना कार्यो से लोगो के जुड़ाव का स्तर अच्छा हो ।
- चयनित क्षेत्र में प्रशिक्षण आयोजन हेतु अधोसंरचना उपलब्ध हो।
- चयनित क्षेत्र के निर्वाचित प्रतिनिधियों एवं अधिकारियों का ''प्रादर्श परियोजना हेतु चयन पर सहमति हो।
- चयनित परियोजना में कार्यरत अमला निर्धारित मापदण्डों के अनुरूप नियुक्त किया गया हो।

14/08/12 05:25PM HP LASERJET FAX p.04

प्रस्तावित गतिविधियॉः–

चयनित प्रादर्श परियोजना क्षेत्र में सामान्यतः अन्य IWMP परियोजनाओं के समान ही कियान्वयन होगा इसके अलावा कियान्वयन की प्रभावशीलता में अभिवृद्धि हेतु निम्न प्रयास किये जायेंगेः–

1. क्षेत्र में होने वाले वर्षा का सतत् मापन किया जायेगा। इस हेतु स्थान चयन कर Rain Guage स्थापित किया जायेगा।
2. परियोजना कार्यो से क्षेत्र में हुए रिचार्ज की पुष्ट जानकारी के लिए परियोजना क्षेत्र में कम से कम तीन स्थानों में चिन्हांकित कुंओ में Automatic Water Level Recorder से जलस्तर की गणना होगी।
3. परियोजना के वेली क्षेत्र (Out-let) पर रन–ऑफ की गणना Discharge Meter के माध्यम से की जावेगी।
4. परियोजना के वेली क्षेत्र (Out-let) पर Silt Meter के माध्यम से परियोजना क्षेत्र में हो रहे मिट्टी के कटाव की गणना की जायेगी।
5. परियोजना क्षेत्र में कृषीय क्षेत्रों में हुई अभिवृद्धि तथा फसल में बदलाव को रजिस्टर में दर्ज किया जायेगा। कृषीय क्षेत्रों में हुई वृद्धि से उत्पादकता में आयी वृद्धि की गणना कर, उसे रजिस्टर में दर्ज किया जावेगा। उक्त परिवर्तनों से हुए आर्थिक लाभ को भी उस रजिस्टर में दर्ज किया जायेगा।
6. सिंचाई की सुविधाओं में हुई वृद्धि की गणना होगी। अतिरिक्त सिंचाई साधनों से उत्पादकता में हुई वृद्धि की गणना कर उसे रजिस्टर में दर्ज किया जावेगा।
7. परियोजना की प्राप्तियों को संबंधित विभागों के अभिलेखों में दर्ज करने हेतु प्रस्तावित किया जायेगा।
8. प्रादर्श परियोजना में स्थानीय स्तर पर परियोजना के हरेक क्षेत्र के लिए भिन्न–भिन्न ''मास्टर ट्रेनर'' होंगे जिनका विशेष प्रशिक्षण ठा.प्या.पं.एवं ग्रा.वि.संस्थान निमोरा, रायपुर में होगा।
9. प्रादर्श परियोजना में परियोजना कियान्वयन इकाई ((PIA), ग्राम स्तरीय जलग्रहण समिति (WC), उपयोग कर्ता दल (UG), तथा स्व–सहायता समूह (SHG) तथा उसके Federation हेतु प्रस्तावित लेखापंजी एवं अभिलेखों को समय सीमा में संधारित कर अवलोकनार्थ उपलब्ध कराया जायेगा।

14/08/12 05:25PM HP LASERJET FAX p.03

परियोजना परिणामों की गणना/अभिलेख संधारण तथा उपकरणों की स्थापना संबंधी विवरणः–

क.	परिणामों के विवरण	वर्तमान स्थिति	मापने हेतु आवश्यक उपकरण	उपकरण की स्थापना का स्थान WS Map में	मापने का निर्धारित समय	मापने हेतु जिम्मेदार व्यक्ति/समूह	प्राप्त परिणामों के संधारण हेतु अभिलेख/ विभाग
1.	भू–जलस्तर (मीटर में)		Automatic Water leavel Recorder	चयनित कुंए (Open Well)	15 जून एवं 15 अक्टूबर	अध्यक्ष/सचिव,एवं (चिन्हांकित 5 सदस्य ,सरपंच/उपसरपंच /पंचों में से विभागीय कर्मचारी)	WC द्वारा संधारित अभिलेख/ PHED एवं CGWB
2.	वर्षिक वर्षा (मिमी. में)		Rain Gauge meter	परियोजना क्षेत्र के मध्य में	पूरे वर्ष भर (मानसून के माह में विशेष निगरानी एवं मापन)	अध्यक्ष/सचिव,एवं (चिन्हांकित 5 सदस्य ,सरपंच/उपसरपंच /पंचों में से विभागीय कर्मचारी)	WC द्वारा संधारित अभिलेख/ मौसम केन्द्र रायपुर /संबंधित तहसील के राजस्व अभिलेख में
3.	रन–ऑफ से कुल डिस्चार्ज		Discharge meter	परियोजना क्षेत्र के Discharge बिंदु (out let point) पर	पूरे वर्ष भर (मानसून के माह में विशेष निगरानी एवं मापन)	अध्यक्ष/सचिव,एवं (चिन्हांकित 5 सदस्य ,सरपंच/उपसरपंच /पंचों में से विभागीय कर्मचारी)	WC द्वारा संधारित अभिलेख/ मौसम केन्द्र रायपुर /संबंधित तहसील के राजस्व अभिलेख में
4.	मिट्टी अपरदन की कुल मात्रा		Silt meter	परियोजना क्षेत्र के Discharge बिंदु (out let point पर)	पूरे वर्ष भर (मानसून के माह में विशेष निगरानी एवं मापन)	अध्यक्ष/सचिव,एवं (चिन्हांकित 5 सदस्य ,सरपंच/उपसरपंच /पंचों में से विभागीय कर्मचारी)	WC द्वारा संधारित अभिलेख/ मौसम केन्द्र रायपुर /संबंधित तहसील के राजस्व अभिलेख में

14/08/12 05:25PM HP LASERJET FAX p.02